

कार्यालय जिला पंचायत, बालोद (छ.ग.)

आदेश



क्रमांक / 11549 / जि.पं. / MGNREGA / स्था. / 2017-18

बालोद, दिनांक 27 मार्च 2018

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर का पत्र क्रमांक / 695 / पंग्राविवि / 22 / 2018 रायपुर दिनांक 27.02.2018 एवं 4480 दिनांक 17.11.2017 के निर्देशानुसार महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत "सूक्ष्म चयन समिति" के अनुशंसा अनुसार मेरिट आधार पर चयनित आवेदक की नियुक्ति संविदा आधार पर सहायक ग्रेड-03 के पद पर जिला पंचायत, बालोद में निश्चित मानदेय रू. 12675.00 (अक्षरी बारह हजार छः सौ पचहत्तर रूपये मात्र) प्रतिमाह के मान से निम्नानुसार शर्तों के अधीन किया जाता है। इनके पारिश्रमिक पर होने वाला व्यय महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की प्रशासनिक व्यय की राशि से किया जावेगा।

क्रं	नाम	पिता का नाम	चयनित प्रवर्ग	पता	पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	रजनीश गजभिये	श्री राष्ट्रपाल गजभिये	अना. (मुक्त)	सिनेमा लाईन वार्ड नं. 07, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव पिन 491661	जनपद पंचायत बालोद
2	झुम्बर लाल साहू	श्री शंकर लाल साहू	अना. (मुक्त)	चतुर राम साहू नयापारा बालोद पोस्ट एवं तह. बालोद जिला बालोद पिन 491226	जनपद पंचायत गुरुर

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

नियम एवं शर्तें :-

1. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिए होगी। तदपश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचारणीय होगा।
2. नियुक्ति की अवधि- संविदा नियुक्ति सामान्य एक वर्ष (दिनांक 28.02.2019) के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकेगा। संविदा अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी है।
4. संविदा अवधि में 18 दिनों के अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
6. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
9. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित को तत्काल पद से पृथक कर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।

10. मनरेगा अंतर्गत 15 दिवस के भीतर समस्त ग्राम पंचायत एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जारी मस्टररोल को प्राप्त कर समय में भुगतान प्राथमिकता पर किये जाने हेतु आपका प्रथम दायित्व होगा।
11. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं./एफ-9-1/2012/1-3, दिनांक 17.01.2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन नियमों के तहत एवं बंधनकारी होगी।
12. MGNREGA के तहत कार्य कर रहे/कार्य कर चुके आवेदक, अंतिम नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे, इसके अभाव में नियुक्ति नहीं दी जावेगी।
13. पदस्थापना मुख्यालय में निवास करना होगा, तदसंबंधी सहमति पत्र (अंडरटेकिंग) उपस्थिति के समय देना होगा, पालन नहीं करने की स्थिति में संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, बालोद

बालोद, दिनांक 7 मार्च 2018

पृ.क्र./ ¹¹⁶⁵⁰ / जि.पं./ MGNREGA / स्था./ 2017-18
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय छ.ग. शासन, रायपुर।
2. आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, ब्लॉक-11, द्वितीय तल, नया रायपुर।
3. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गाँधी नरेगा, जिला बालोद।
4. जिला रोजगार अधिकारी बालोद को सूचनार्थ।
5. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)(सर्व) जिला बालोद को सूचनार्थ।
6. सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय, बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बालोद की ओर प्रकाशनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत(सर्व) जिला बालोद को सूचनार्थ।
9. लेखा/स्थापना शाखा (MGNREGA), जिला पंचायत, बालोद।
10. संबंधित..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। दि. 19/03/2018 तक अपनी उपस्थिति रिपोर्ट मय समस्त मूल प्रमाण पत्रों तथा जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र व अंडरटेकिंग के साथ जिला पंचायत (MGNREGA प्रकोष्ठ) बालोद में देवे। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, बालोद